



# मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की रजिस्टर्ड संस्था)

स्टेट आई.टी. सेंटर, 47-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011 (म.प्र.)

फोन नं. 0755-2518702, E-mail : map\_it@mp.nic.in, Website : www.mapit.gov.in

क. म.प्र./एडमिन/2017/304

दिनांक : 01.05.2017

## प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी कार्य करती है। संस्था निम्नलिखित पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करती है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	न्यूनतम अर्हताएं/वेतन विवरण
1.	उप संचालक	02	मध्यप्रदेश शासन/निगम/मण्डल के (15600-39100+6600 ग्रेड पे में कार्यरत अधिकारी) ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्य एवं परियोजना क्रियान्वयन के क्षेत्र में कार्यानुभव को प्राथमिकता।
2.	वित्त नियंत्रक	01	मध्यप्रदेश शासन/निगम/मण्डल के (15600-39100+5400 ग्रेड पे में कार्यरत अधिकारी) दोहरा लेखा प्रणाली एवं टेली सॉफ्टवेयर के कार्यानुभव को प्राथमिकता।
3.	सहायक संचालक	04	मध्यप्रदेश शासन/निगम/मण्डल में (15600-39100+5400 ग्रेड पे में कार्यरत अधिकारी) ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कार्यानुभव को प्राथमिकता।
4.	लेखापाल	01	मध्यप्रदेश शासन/निगम/मण्डल में (9300-34800+4200 ग्रेड पे में कार्यरत अधिकारी) लेखा संबंधी कार्यों का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव एवं टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करने का ज्ञान।
5.	अधीक्षक (प्रशासन)	01	मध्यप्रदेश शासन/निगम/मण्डल में 9300-34800+4200 ग्रेड पे में कार्यरत अधिकारी) क्रय, भंडार नियमों का ज्ञान, कार्यालय प्रबंधन का अनुभव।

### नियुक्ति हेतु अर्हताएं :-

- आवेदक समस्त जानकारी (फोटो, पता एवं दूरभाष के साथ) तथा अपने समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि एवं अपने नियोक्त से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर उचित माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आई.टी. को प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र जमा करने करने की अंतिम तिथि दिनांक 19.5.2017 शाम 5.00 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि में वेतन एवं भत्ते मूल विभाग से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के अनुसार देय होंगे।
- प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

म.प्र. माध्यम/85313/2017

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी